हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 01 फ़रवरी 2025, समय 1430 (5 मिनट)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्ण बजट पेश किया।वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास में तेज़ी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। श्रीमती सीतारामन ने लोगों को राहत पहुंचाने वाली कई घोषणाएं की।नई कर व्यवस्था में 12 लाख रूपये तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है जबकि वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हज़ार रुपए की मानक कटौती के कारण 12 लाख, 75 हज़ार रूपये होगी।वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रूपये की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर एक लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्तमंत्री ने बजट में नई कर संरचना के अनुसार कर स्लैब में भी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है। 4 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख तक 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख तक 15 प्रतिशत और 16 से 20 लाख तक 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है।20 से 24 लाख रुपए की आय वाले करदाता के लिए 25 प्रतिशत कर की नई स्लैब घोषित की गई है। 24 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।वित्त मंत्री ने किसी भी आकलन वर्ष की संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा 50 हज़ार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है।इसके अलावा किराए पर TDS यानी स्रोत पर कर कटौती की लिए वार्षिक सीमा 2 लाख, 40 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है।वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी।उन्होंने कहा है कि नए कर □ांचे से

मध्यम वर्ग को लाभ होगा। उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा।श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत धन प्रेषण पर TDS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। माल की बिक्री से जुड़े लेन देन पर TCS हटाने का प्रस्ताव किया गया है, केवल TDS लागू रहेगा।

****

वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। इसी तरह स्टार्टअप पर ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है।वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले वर्ष 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यम स्थापित करने वाले 5 लाख उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। उन्हें 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण भी दिए जाएंगे।

****

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं।उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लागू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए पंच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की है जिस से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। भिवानी से व्यापार संगठन के पदाधिकारी अभिषेक कंसल ने वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया।

****